

24.1.25

बकुलार् फरीकेन उपस्थित । PO साहब
अन्य कार्य में व्यक्त पत्रावली वास्ते
पूर्वानुसार दिनांक 24/1/25 को पेश हो।

24.2.25

पत्रावली पेश हुई। जिसमें प्रार्थी मनफूलराम पुत्र
स्वर्गीय बिरखदास जाति स्वामी निवासी भाखरावाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के प्रार्थना पत्र चक
1 केएसडी खाता संख्या 201/180 प.न. 166/111
मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 3,4,7,8,11ता 14, 17
ता 24 कुल 4.048 है। यानि 16-00 बीघा नहरी बिरानी
के राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार के स्थान पर मन्दिर
खातेदार दर्ज किये जाने के संबंध में तहसीलदार
राजस्व संगरिया से रिपोर्ट लिये जाने पर उन्होने अपने
पत्रांक भू.अ./2019/455 दिनांक 05.02.2019 द्वारा
अवगत करवाया कि मुताबिक रिकार्ड उक्त रकबा
मिलस बन्दोबस्त में मन्दिर गैरखातेदार व पुजारी के
नाम अंकित था जमाबन्दी सम्वत 2053-2056 में
राजस्थान राजस्व ग्रुप (6) विभाग के आदेश क्रमांक
प(2)(4)राज/4/ 90/37 दिनांक 13.12.1991 की
अनुपालना में उक्त रकबे में दर्ज पुजारी का नाम
विलोपित किया गया है जो की चालू जमाबन्दी सम्वत
2068-2071 में चला आ रहा है। अतः उक्त रिपोर्ट
प्राप्त होने के कारण उक्त शुद्धी प्रकरण अन्तर्गत धारा
136 एलआरएक्ट के दायरे में नहीं आता है, इसलिए
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित
प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट इसी स्तर पर खारीज
किया जाता है। पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम
होकर दाखिल दफतर हो।

